संख्या- 45/2018/609/छप्पन-2018-98/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2018

विषय: आगरा में सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 958/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 14 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-573/अ0जि0भू0अ0/आगरा/2018, दिनांक 08 मार्च, 2018 में किए गए अनुरोध के दृष्टिगत आगरा सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण हेतु क्रय की गई भूमि के अन्तर्गत लिंक टैक्सी ट्रैक के लिए 2.5 एकड़ (जो मौके पर परिमाप के अनुसार 2.6 एकड़ है) को क्रय करने हेतु पूर्व उपलब्ध धनराशि रूपए 18,11,32,000/- में से रूपए 6,55,13,700/-, क्रय के निबन्धन शुल्क हेतु रूपए 5,00,000/- एवं बैनामा लिखाई आदि व्यय हेतु रूपए 5,000/- अर्थात कुल धनराशि रूपए 6,60,18,700/- (रूपए छः करोड़ साठ लाख अठारह हजार सात सौ मात्र) का व्यय किए जाने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रस्ताव में किसी अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति निहित नहीं है। अतः श्री राज्यपाल द्वारा आगरा सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण हेतु क्रय की गई भूमि के अन्तर्गत लिंक टैक्सी ट्रैक के लिए 2.6 एकड़ अतिरिक्त भूमि क्रय करने के निमित्त पूर्व उपलब्ध धनराशि रूपए 18,11,32,000/- (रूपए अठारह करोड़ ग्यारह लाख बत्तीस हजार मात्र) में से रूपए 6,60,18,700/- (रूपए छः करोड़ साठ लाख अठारह हजार सात सौ मात्र) की धनराशि का व्यय किए जाने हेतु सहर्ष प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 45/2018/609(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
(5) जिलाधिकारी, आगरा/मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
(6) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4 ।
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।